रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-48/2019/1344/22-2-2019-17(703)/2019

लखनऊ:दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इसी प्रकरण में मिस बेंच याचिका संख्या-18055/2018 अजमत खॉ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजमत खॉ (बन्दी संख्या-39606) पुत्र श्री हसन अली, निवासी-मंगरूवा, मजरा-वरियाडीह, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1228/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 02.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2007 द्वारा यथावत रखा गया, की आयु 72 वर्ष होने, 14 वर्ष 03 माह 24 दिन की अपरिहार सजा 19 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा काटने तथा संतोषजनक जेल आचरण व कारागार के चिकित्साधीक्षक द्वारा जेल मैनुअल के प्रस्तर 196 के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति/दयायाचिका समिति की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2019/1344(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in